Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल अंतर्गत हरदीबाजार बाईपास (व्हाया रतिजा, रैंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) मार्ग निर्माण का पेवव्ड शोल्डर सहित सी.सी. सड़क निर्माण कार्य के गैर वानिकी कार्य हेतु 15.40 हे. नारंगी वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 15 -02-2021

Place : Raipur

Name - Prem Kumar

Designation - Secretary,
C.G. Govt.,
Forest & Climate Change Department

PREM KUMAR
Secretary
Govt. of Chhattisgarh
Forest & Climate Change Dept.
Mantralaya Mahanadi Bhawan
Nawa Raipur, Atal Nagar

छत्तीसगढ़ शासन

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–31/2020/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 15/02/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),
भारत सरकार, पर्यावरण ,वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ 492015 ।

विषयः– आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, कोरबा, द्वारा कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल अंतर्गत हरदीबाजार बाईपास (व्हाया रतिजा, रैंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) मार्ग निर्माण के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 15.40 हे. नारंगी वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–786/2011, दिनांक 09.11.2020 तथा पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–786/210, दिनांक 28.01.2021।

––00––

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव, परियोजना कार्य क्रियान्वयन इकाई, कोरबा द्वारा कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल अंतर्गत हरदीबाजार बाईपास (व्हाया रतिजा, रैंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) मार्ग निर्माण का पेवव्ड शोल्डर सहित सी.सी. सड़क निर्माण कार्य हेतु रकबा 15.40 हे. नारंगी वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।	1 – 03
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –** आवेदनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक–FP/CG/ROAD/40258/2019 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 29.02.2020 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 18,000 रूपये जमा कराया गया है।	4 –5
3	वन क्षेत्र का विवरण – कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल अंतर्गत हरदीबाजार बाईपास (व्हाया रतिजा, रैंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) मार्ग निर्माण का पेवव्ड शोल्डर सहित सी.सी. सड़क कार्य हेतु ओ.ए. 599, ओ.ए. 601 एवं ओ.ए. 602 के रकबा 15.40 हे. नारंगी वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।	6 – 7
4	**गैर वन क्षेत्र का विवरण –** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में 8.613 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है। विवरण संलग्न है।	19 – 22
5	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर–** प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	23 – 25
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप –** वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	26 – 38
7	**प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव –** प्रपत्र – 4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित नारंगी वन भूमि 15.40 हे., के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत 8916.75 लाख बतायी गई है। प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.2 से 0.3 है।	39 –42

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –** कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव, परियोजना कार्य क्रियान्वयन इकाई, कोरबा द्वारा कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल अंतर्गत हरदीबाजार बाईपास (व्हाया रतिजा, रैंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) मार्ग निर्माण का पेवव्ड शोल्डर सहित सी.सी. सड़क निर्माण कार्य हेतु रकबा 15.40 हे. नारंगी वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव का विस्तृत टीप संलग्न है।	43 – 45
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –** यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।	46
10	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।यूजर एजेंसी एवं वनमंडलाधिकारी, कटघोरा वनमंडल का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	47
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र –** भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विज्ञप्ति की दिनांक 22.08.2013 के अनुसार पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। विज्ञप्ति की प्रति संलग्न है।	48 –53
12	**वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) –** आवेदित क्षेत्र में 1523 नग मिश्रित प्रजाति के वृक्षों का विदोहन किया जाना है। प्रस्ताव में संलग्न है।	54 – 65
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –** परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस 2.12:1 है जो प्रस्ताव में संलग्न है।	66 – 70
14	**चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र –** प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना हेतु गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है। इस आशय का यूजर एजेंसी एवं वनमंडलाधिकारी, कटघोरा का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	71 तक
15	**गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –** प्रस्तावित परियोजना हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	72 – 81
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** आवेदित वन भूमि 15.40 हे. के एवज में कटघोरा वनमंडल के कटघोरा परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक ओ.ए. 778 में दुगुने नारंगी वन भूमि रकबा 30.80 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित है। 10 वर्षीय परियोजना प्रतिवेदन संलग्न है।	82 – 114 तक
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** वैकल्पिक वृक्षारोपण वनमंडलाधिकारी, कटघोरा वनमंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र वैकल्पिक वृक्षारोपण योजन के साथ संलग्न है।	91
18	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण –** वनमंडलाधिकारी कटघोरा वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है।	122
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –** प्रस्तावित कार्य में अधिनियम का उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी निरंक है।	123
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –** प्रस्तावित कार्य में अधिनियम का उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही निरंक है।	124

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –** वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नारंगी वन भूमि प्रस्तावित होने के कारण गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	125
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –** प्रस्ताव मार्ग निर्माण से संबंधित होने के कारण लागू नहीं होगा। प्रमाण पत्र संलग्न है।	126
23	**रिक्लेमेशन प्लान –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	127
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	128
25	**व्यवस्थापन प्लान –** प्रस्ताव किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	129
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) –** भाग–2 पर वनमंडलाधिकारी, कटघोरा वनमंडल द्वारा दिनांक 23.07.2020 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी कटघोरा वनमंडल के अनुशंसा से मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।	130 – 139
27	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थल नहीं है जिससे संबंधित वनमंडलाधिकारी कटघोरा वनमंडल एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	140
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** संबंधित ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	141 – 164
29	**जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) –** कोरबा जिले की कुल वन भूमि 4187.375 वर्ग कि.मी. है।	166
30	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –** कटघोरा वन मंडल 48 प्रकरणों में 4863.491 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।	167
31	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में –** कटघोरा वनमंडल में 1 प्रकरण के लिए 382.344 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।	168
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी –** प्रस्तावित क्षेत्र वन भूमि अंतर्गत 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है ना ही प्रस्तावित है तथा ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थित नही है और न ही प्रस्तावित है। वनमंडलाधिकारी कटघोरा वनमंडल एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	169
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन –** खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।	170

क्रमशः 4

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** आवेदित क्षेत्र के लिये अनुविभागीय अधकारी, कटघोरा के पत्र दिनांक 02.08.2019 के आधार पर कलेक्टर कोरबा का वन अधिकार पत्र वितरण संबंधित प्रमाण पत्र दिनांक 23.10.2019 जारी किया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है ।	172 – 176
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –** प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है अतएव राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	178
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	182
38	**A detailed note on Soil Productivity or the lack of it –** प्रस्तावित वन क्षेत्र की मिट्टी चिकनी, दोमट एवं बलुई है जिसमें ह्यूमस लगभग सामान्य है तथा पानी रोकने की शक्ति भी सामान्य है इसलिए मृदा वृक्षो/वनस्पतियों के लिए उपयुक्त है।	183
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** हरदीबाजार बाईपास (व्हाया रतिजा, रैंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) सी.सी. मार्ग निर्माण में आवेदित वन भूमि पर Forest Clearance से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारंभ नही करने हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है। जिससे संबंधित वनमंडलाधिकारी कटघोरा वनमंडल एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	184
40	**Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 –** केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	185
41	**पंजीयन क्रमांक – पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –** बिन्दु क्रमांक –2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है।	186 – 190
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत–** प्रस्तावित निर्माण कार्य साल वन्यप्राणी परियोजना अंतर्गत नही है। अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत आवश्यक नही है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	190
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण –** प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	
44	**प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण –** प्रस्ताव से संबंधित अन्य जानकारियां संलग्न की गई है।	192 198

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

क्रमशः 5

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्नः – प्रस्ताव 1 प्रति में।

Rajput 15.2.21
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ–5–31/2020/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 15/02/2021

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ,।

2.मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर छत्तीसगढ़।

3.वनमंडलाधिकारी, कटघोरा वनमंडल छत्तीसगढ़ ।

4.आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव, परियोजना कार्य क्रियान्वयन इकाई, कोरबा, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

Rajput 15.2.21
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

O/c

D: 1980 FCA/LALIT/DOC.